

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश
शुद्धि पत्र

सं0सं0-17/ए 1-06/2018-816/17/...../ पटना, दिनांक- 29/11/18

विभागीय अधिसूचना-658(17) दिनांक-17.09.2018 द्वारा राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के विभिन्न विभागों में चिकित्सक शिक्षकों को प्राध्यापक एवं सह-प्राध्यापक के पदों पर नियमित प्रोन्नति दी गई है।

2. उक्त अधिसूचना में हड्डी रोग विभाग के चिकित्सक शिक्षकों को प्राध्यापक के पद पर दी गई प्रोन्नति के क्रम संख्या-1 में अंकित चिकित्सक शिक्षक का नाम "डा0 सत्येन्द्र कुमार सिंह" के स्थान पर "डा0 सत्येन्द्र कुमार सिन्हा" एवं एफ०एम०टी० विभाग के चिकित्सक शिक्षकों को सह-प्राध्यापक के पद पर दी गई प्रोन्नति के क्रम संख्या-3 में अंकित चिकित्सक शिक्षक का नाम "डा0 अरविन्द कुमार सिंह" के स्थान पर "डा0 अरविन्द कुमार" पढ़ा जाए।

3. अधिसूचना-658(17) दिनांक-17.09.2018 के शेष भाग यथावत् रहेंगे।

ह0/—

(कौशल किशोर)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-17/ए 1-0/2018-816/17 स्वा०, पटना,

दिनांक- 29/11/18

प्रतिलिपि :-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-महालेखाकार(ले०एवंह०), बिहार, पटना को उनके पत्रांक-GN-021120180200561 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना एवं गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-प्राचार्य, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/प्राचार्य, अनुग्रह नारायण चिकित्सा महाविद्यालय, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित चिकित्सक शिक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी-01 एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

Kamla
29/11/18

सरकार के संयुक्त सचिव।